भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2541

उत्तर देने की तारीख : 16.12.2025

प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति संबंधी अनियमितताएं

2541. श्री लालजी वर्मा:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत कई वर्षों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और बिहार सहित कई राज्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए संचालित प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में भारी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक जांच की गई शिकायतों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इन शिकायतों पर क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इन छात्रवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वयन में जनप्रतिनिधियों को निगरानी की भूमिका देने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार के पास इस मामले से संबंधित कोई आंकड़े हैं और उक्त छात्रवृत्ति योजनाओं में अनियमितताओं के कारण अब तक केंद्र सरकार को राज्य-वार कितनी वित्तीय हानि हुई है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) से (घ): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और अनुसूचित जातियों (एससी) और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की केंद्र प्रायोजित योजनाओं को क्रमशः 2021-22 और 2022-23 से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में लागू कर रहा है। केंद्रीय हिस्सा सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खाते में जारी किया जाता है। उपरोक्त योजनाएं पूरे भारत में सभी मान्यता प्राप्त संस्थानों के पात्र छात्रों के लिए खुली (ओपन-एंडेड) और मांग आधारित हैं। केंद्रीय हिस्सा जारी किया जाना, राज्यों/संघ राज्य

क्षेत्रों द्वारा अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के हिस्से के किए गए भुगतान संबंधी डेटा को केंद्रीय पोर्टल/ राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर भेजे जाने पर निर्भर करता है।

उपर्युक्त योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त होती हैं, जिन्हें सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को तत्काल भेज दिया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए ऐसी शिकायतों/अभ्यावेदनों पर उपयुक्त प्रशासनिक कार्रवाई करते हैं। फंड की अनियमितताओं और दुरुपयोग को रोकने के लिए भारत सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की शुरुआत की, जिसके माध्यम से लाभ सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में जारी किए जाते हैं।

अनुसूचित जाति के सबसे गरीब परिवारों पर परिवर्तनकारी प्रभाव लाने के लिए समय पर वितरण, व्यापक जवाबदेही, निरंतर निगरानी और पारदर्शिता के लिए योजनाओं में सुधार किए गए हैं। वेब-आधारित प्रणाली के माध्यम से, केंद्र/राज्य स्तर पर छात्रवृत्ति की निगरानी और संवितरण सीधे डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फंड का दुरुपयोग न हो।

उपर्युक्त योजनाओं की आवधिक समीक्षा राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तरों पर बैठकों के साथ-साथ क्षेत्र दौरों के माध्यम से की जाती है। इसके अतिरिक्त, इन योजनाओं के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय सम्मेलन/चिंतन शिविर आयोजित किए जाते हैं, जिनमें केंद्र और राज्यों के मंत्री, केंद्र और राज्यों दोनों के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य अधिकारी भाग लेते हैं।

इसके अलावा, अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

*****